UPPB010021262022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

सत्र वाद संख्या–380/2022

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

बनाम

हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश पुत्र श्रीकान्त सिंह, निवासी–मोहल्ला नरेन्द्र नगर बेली, पोस्ट–टेलीहार, थाना–निघासन, जिला–लखीमपुर खीरी।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–539/2018,
धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत की पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त, मुकदमा अपराध संख्या–539/2018, दिनांकित–16.12.2018 के मामले में अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र संख्या–92/2019, दिनांकित–07.04.2019 प्रेषित किये जाने पर यह मामला संस्थित हुआ। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण, तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अभियुक्त की पत्रावली दिनांक–21.03.2022 को इस न्यायालय को सुपुर्द की गई।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा–228–ए के अंतर्गत कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति/महिला की पहचान छुपाने के उद्देश्य से, मामले की पीड़िता को उसके मूल नाम के स्थान पर 'पीड़िता' कहकर सम्बोधित किया जायेगा।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रकिया संहिता/तहरीर दिनांकित–10.10.2018 **प्रदर्श क**–1, पर हुए तत्कानीन विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत पर यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। वादिनी का कथन है कि वह दिनांक–10.05.2018 को अपने ससुराल ग्राम–नियानसी नन्दी, धामपुर, जिला–बिजनौर जा रही थी। तब वह प्राईवेट वाहन से पीलीभीत नौगवां चौराहे पर समय करीब रात्रि 8:00 बजे आयी थी, जहां से वह बिजनौर जाने के लिए बस का इन्तजार कर रही थी। तभी उसके गांव का हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश व दो अज्ञात व्यक्ति कार से मिले। हेमेन्द्र ने कहा कि हम भी बिजनौर जा रहे हैं उसे वहां छोड़ देंगे उनके साथ चलो। हेमेन्द्र का विश्वास करके वह उसकी गाड़ी में बैठ गयी तभी हेमेन्द्र ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे वह बेहोश हो गयी। जब उसे होश आया तो वह देहरादून में थी। उसने जब हेमेन्द्र से पूछा कि यहां कहां लेकर आ गये

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.07.20 17:08:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तो हेमेन्द्र ने कहा कि यहां उसका कुछ थोड़ा काम है, थोडी देर घर पर आराम कर लेते हैं। उसने विरोध किया तभी हेमेन्द्र ने अपनी गाड़ी से तमन्चा निकालकर धमकी देने लगा कि अगर ज्यादा बोली तो उसे गोली मारकर लाश को कहीं फेंक देंगे। वह भयभीत हो गयी और उसको ग्राम–सेलाकुई, देहरादून में एक मकान में जबरन बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ ये लोग जबरन बलात्कार करते रहे। दिनांक–27.09.2018 को किसी तरह अपनी जान बचाकर इन लोगों के चंगुल से भाग आयी।

4. वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–10.10.2018 **प्रदर्श क**–1, पर हुए तत्कालीन विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में दिनांक–16.12.2018 को समय 19:32 बजे, थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत पर मुकदमा अपराध संख्या–539/2018, अन्तर्गत धारा–328, 342, 376डी, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश व दो अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जो चिक/एफ0आई0आर0 पत्रावली पर **प्रदर्श क**–5 के रूप में मौजूद है।

5. दिनांक–25.04.2022 को इस न्यायालय के तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में विरचित किये गयें। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार कर, विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा, इस मामले के अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध, आरोप व अपने कथानक को साबित करने के लिए **मौखिक साक्ष्य** के रूप में:–

पी0डब्लू0–1 इस मामले की वादिनी मुकदमा/पीड़िता है, जिसने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–10.10.2018 को **प्रदर्श क**–1 एवं बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता को **प्रदर्श क**–2 के रूप में साबित किया है,

पी0डब्लू0–2 श्रीमती सुनीता देवी, जो इस प्रकरण की वादिनी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 की माता है,

पी0डब्लू0–3 डाक्टर सन्तोष राणा, जिनके द्वारा इस प्रकरण की पीड़िता का मेडिकल कर मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित–15.01.2019 को **प्रदर्श क**–3 के रूप में साबित किया है

शेष अभियोजन प्रपत्र आरोप–पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी0डी0, नक्शा–नजरी, आयु निर्धारण प्रमाण–पत्र, एक्स–रे रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट'' की औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया, जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क**–4 ता 10 डाला गया।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में:–

प्रदर्श क–1 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–10.10.2018, वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा साबित, जिसमें घटना का दिनांक–10.05.2018, समय रात्रि 8:00 बजे से दिनांक–27.09.2018 तक भिन्न–भिन्न समय बताया गया है,

प्रदर्श क–2 इस मामले से सम्बन्धित वादिनी मुकदमा/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता है,

प्रदर्श क–3 इस मामले से सम्बन्धित वादिनी मुकदमा/पीड़िता की ''मेडिकल रिपोर्ट'' दिनांकित–15.01.2019 है, जिसमें No signs suggestive of use of force present on the body अंकित है,

प्रदर्श क–4 इस मामले से सम्बन्धित आरोप–पत्र संख्या–92/2019, दिनांकित–07.04.2019 विरूद्ध अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश, अन्तर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत है,

प्रदर्श क–5 चिक/एफ0आई0आर0 दिनांकित–16.12.2018 जिसमें थाने पर सूचना का समय 19:32 बजे, घटना का दिनांक–10.05.2018, समय 8:00 बजे रात्रि से दिनांक–27.09.2018, भिन्न–भिन्न समय तक दिखाया गया है, जो इस इस मामले से सम्बन्धित है, अन्तर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत पर अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश के विरूद्ध नामजद दर्ज,

प्रदर्श क–6 इस मामले से सम्बन्धित मुकदमा कायमी दिनांकित–16.12.2018 जी0डी0, नम्बर–37,

प्रदर्श क–7 इस मामले से सम्बन्धित ''नक्शा–नजरी घटनास्थल'' दिनांकित–03.04.2019, जिसमें विवेचक द्वारा चिन्ह Ⓐ से पीड़िता को अभियुक्त द्वारा गाड़ी में बैठाया जाना बताया गया है,

प्रदर्श क–8 इस मामले से सम्बन्धित वादिनी मुकदमा/पीड़िता का आयु निर्धारण प्रमाण–पत्र दिनांकित–19.01.2019 है,

प्रदर्श क–9 इस मामले से सम्बन्धित वादिनी मुकदमा/पीड़िता की एक्स–रे रिपोर्ट दिनांकित–16.01.2019 है,

प्रदर्श क–10 इस मामले से सम्बन्धित वादिनी मुकदमा/पीड़िता की ''मेडिकल रिपोर्ट'' दिनांकित–16.01.2019 है।

वस्तु प्रदर्शः– कोई नहीं।

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–16.05.2026 को अंकित किया गया, जिसमे अभियुक्त ने अभियोजन कथानक गलत होने, गलत आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल करने, **पी0डब्लू0**–1 एवं **पी0डब्लू0**–2, की साक्ष्य गलत होने, **पी0डब्लू0**–3 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना कहा तथा अभियुक्त के द्वारा यह भी कथन किया गया कि मुकदमा गलत व फर्जी चला, वह निर्दोष है।

अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया गया है।

8. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भॉति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान

बहस कहा गया है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता, जो अपनी ससुराल धामपुर, बिजनौर जाने के लिए पीलीभीत नौगवां चौराहे पर सवारी का इन्तजार कर रही थी, को उपहति कारित करने के लिए कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और अपनी गाड़ी में बैठाकर देहरादून ले गया जहां पर उसे एक घर में बन्धक बनाकर, भिन्न–भिन्न समय व स्थानों पर उसके साथ, उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा माननीय विद्वान विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर **प्रदर्श क**–1, प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत पर वर्तमान अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। वादिनी मुकदमा/पीड़िता/**पी0डब्लू0**–1 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तथ्य के साक्षीगण/पीड़िता के साक्ष्य से मामला अभियुक्त के विरूद्ध साबित है। यह मामला अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज से पूर्णतया सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा घटना दिनांक–10.05.2018 को समय रात्रि 8:00 से दिनांक–27.09.2018 तक की बतायी है जबकि प्राथमिकी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, से दिनांक–16.12.2018 को अत्यन्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थना पत्र दिनांकित–10.10.2018, अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर में किये गये कथन, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण के कथनों से पूर्णतया अविश्वसनीय हैं। अभियोजन कथानक सर्वथा असत्य है। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कथित घटना कारित की गई अथवा नहीं क्योंकि वादिनी मुकदमा/पीड़िता जिसके साथ कथित घटना होना कहा गया है, ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता ने उसके परिवार व अभियुक्त के परिवार में पुराने जमीनी विवाद व उसकी अभियुक्त से हुई कहा–सुनी को लेकर अभियुक्त के विरूद्ध यह मामला अत्याधिक विलम्ब से दर्ज कराया है। आरोपित अपराध में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है, वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा कर, उसके विरूद्ध लगे आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाये।

निष्कर्ष

11. इस मामले में अब न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है किः–

क्या अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को उपहति कारित करने के आशय से कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसे भिन्न–भिन्न स्थानों व समय पर बन्धक बनाकर रखा तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार कर, उसे जान से मारने की धमकी दी गई ?

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक व उपरोक्त निर्णायक बिन्दु के सापेक्ष **पी0डब्लू0**–1 के रूप में वादिनी मुकदमा/पीड़िता, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश को वह जानती है, उसके मायके का

रहने वाला है। नौगवां फाटक पर उसको अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश मिला। वहां पर उसकी मनीश से कहा–सुनी हो गयी थी। उसका व मनीश का घरेलू विवाद भी था। मनीश के साथ देहरादून नहीं गयी थी। उसे नहीं पता कि मनीश के साथ दो अन्य व्यक्ति कौन थे उन्होंने उसे कोल्डड्रिंक नहीं पिलायी थी और न ही मनीश ने उसे कमरे में बन्द रखा था और न ही मनीश ने उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ बलात्कार किया था।

न्यायालय द्वारा पूछने पर उसने कहा है कि वह आज बिना किसी दबाब के अपनी इच्छा से बयान दे रही है। प्रार्थना–पत्र लिखाने वह वकील साहब के पास आयी थी। उसने उनको अपनी घटना बतायी उन्होंने प्रार्थना–पत्र लिख दिया और उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। फिर कुछ दिन बाद पुलिस उसे दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के पास ले गयी थी उन्होंने उसका बयान उसके बोलने पर लिखा था। उस समय उसके और मजिस्ट्रेट साहब के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप अपनी मर्जी से बयान दे रही हो तो उसने हां कहा था। इस साक्षी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर को **प्रदर्श क**–1 एवं बयान धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता को **प्रदर्श क**–2 के रूप में साबित किया है। साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इनकार किया है और यह भी कथन किया है कि ऐसा भी नहीं है कि मनीश उसे देहरादून ले कर गया हो और वहां उसे बन्धक बनाकर दो महीने तक बलात्कार किया हो। ऐसा भी नहीं है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए राजीनामा हो जाने के कारण आज सही बात नहीं बता रही है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि हेमेन्द्र व उसके परिवार के बीच जमीन को लेकर बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था इसी बात को लेकर नौगवां चौराहे पर उसके और हेमेन्द्र प्रताप के बीच कहा–सुनी हो गयी थी। पीलीभीत से लेकर देहरादून तक मनीश उसके साथ नहीं था, वह अकेली देहरादून गयी थी। वहां से आने के बाद अपनी सहेली ऊषा के घर ग्राम टन्डोला जो कचहरी से पांच–छः किलो मीटर दूर है, उसके घर गयी और मनीश के परिवार से पुराना झगड़ा व मनीश से हुई कहा–सुनी की बात उसने, उससे बतायी फिर ऊषा और वह पीलीभीत कचहरी आये और वकील साहब से मिले और उनसे कहा कि कुछ ऐसा मुकदमा बना दीजिए जिससे मनीश जेल चला जाये और उसकी जल्दी जमानत न हो। वकील साहब ने प्रार्थना–पत्र पढ़कर नहीं सुनाया था केवल उसके दस्तखत करा लिए थे। पुलिस वालों ने उससे कहा कि अब उसे ऐसा ही बयान हर जगह देना है नहीं तो वे उसे जेल भेज देंगे। वह बुरी तरह डर गयी थी और डर के कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप उसने बयान दिया था। उसके व हेमेन्द्र प्रताप के बीच कभी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हुआ। वह मनीश को फंसाना या बचाना नहीं चाहती बल्कि जो सही बात है वो ही न्यायालय में बता रही है।

13. **पी0डब्लू0**–2 सुनीता, जो इस प्रकरण की वादिनी मुकदमा/पीड़िता/ **पी0डब्लू0**–1 की मां है, ने भी अपने साक्ष्य में **पी0डब्लू0**–1 के कथनों का ही समर्थन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि देहरादून रहने के दौरान पीड़िता व उसकी बुआ से उसकी रोज फोन पर बातचीत होती थी। पीड़िता ने उसे कभी कोई घटना नहीं बतायी। पीड़िता ने अपनी बुआ व सहेली ऊषा के कहने व बहकावे में आकर हेमेन्द्र

के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया था।

14. **पी0डब्लू0**–3 डाक्टर सन्तोष राणा, जो चिकित्सक साक्षी है, को परीक्षित कराया गया है तथा इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य से पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित–15.01.2019 को **प्रदर्श क**–3 के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता ने अपनी आयु 20 वर्ष बतायी थी। पीड़िता के बाह्य एवं आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण में किसी प्रकार के कोई लक्षण चोट के नहीं पाये गये थे। पीड़िता के साथ बलात्कार होने की भी चिकित्सीय परीक्षण में कोई पुष्टि नहीं हुयी थी।

15. इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के कुल 02 (दो) साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं। **पी0डब्लू0**–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और उसके द्वारा कथन किया गया है कि नौगवां फाटक पर उसको अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश मिला। वहां पर उसकी मनीश से कहा–सुनी हो गयी थी। उसका व मनीश का घरेलू विवाद भी था। वह मनीश के साथ देहरादून नहीं गयी थी। उसे नहीं पता कि मनीश के साथ दो अन्य व्यक्ति कौन थे उन्होंने उसे कोल्डड्रिंक नहीं पिलायी थी और न ही मनीश ने उसे कमरे में बन्द रखा था और न ही मनीश ने उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ बलात्कार किया था। इस साक्षी ने अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पुलिस के दबाब में देने कहा है। एवं **पी0डब्लू0**–2 सुनीता देवी, जो वादिनी मुकदमा/पीड़िता/**पी0डब्लू0**–1 की माता है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई बल/लाभ मिलता हो। **पी0डब्लू0**–3 डाक्टर सन्तोष राणा चिकित्सक साक्षी है।

16. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से इस न्यायालय की राय, में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता के जो आरोप लगाये गये हैं, अभियुक्त के विरूद्ध इन आरोपों को अभियोजन पक्ष पूरी तरह से सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अर्थात् अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया हो।

''अभियोजन पक्ष को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करना होता है।'' 'केवल संदेह के आधार पर, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती'।

ऐसा ही मत, अभी हाल में, **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विधि व्यवस्था एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा–378 नं0–196/2019, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश** बनाम **बब्लू उर्फ अशोक सिंह व अन्य, निर्णीत दिनांक–07.07.2026** में भी दिया है।

अभियुक्त द्वारा कुछ अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है। केवल इसी आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, दण्डित किया जाना युक्ति–युक्त एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, विशेषकर उस स्थिति में जब अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित

अपराध सिद्ध नहीं होते हैं।

17. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **बाबूराम इत्यादि** बनाम **स्टेट ऑफ पंजाब 2008 (2) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 727** में सम्मानित विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि " दाण्डिक परीक्षण के वाद में अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जायेगा। "

18. इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'एम0एस0 रॉय** बनाम **बंगाल राज्य' (2003)12 एस0सी0सी0 337** के मामले में अवधारित कर कहा गया है। इसके अलावा **'बिशनदास** बनाम **पंजाब राज्य' ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 573** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कर कहा गया है कि **"Prosecution must prove its case. Even silence of accused is of no consequence."**

19. इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन पक्ष, इस प्रकरण के मुख्य निर्णायक बिन्दु किः–

क्या अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को उपहति कारित करने के आशय से कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसे भिन्न–भिन्न स्थानों व समय पर बन्धक बनाकर रखा तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार कर, उसे जान से मारने की धमकी दी गई ?, को अपने पक्ष में, व इस मामले के अभियुक्त के विरूद्ध सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन कथानक केवल संदेहों से भरा हुआ है।

20. परिणामतः इस प्रकरण, में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश पुत्र श्रीकान्त, को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता, से विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

21. इस प्रकरण में, वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रकिया संहिता/तहरीर को **प्रदर्श क**–1, में वर्णित अपराध सम्बन्धी कथन के सापेक्ष, न्यायालय में अपनी साक्ष्य में उक्त कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा करके वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने इस न्यायालय की राय में, न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में **पी0डब्लू0**–1, वादिनी मुकदमा/पीड़िता पत्नी सूरज, पुत्री जयहिन्द सिंह, निवासी–मोहल्ला नरेन्द्र नगर बेली, पोस्ट टेलीहार निघासन, थाना–निघासन, जिला लखीमपुर खीरी, हाल निवासी ग्राम–नियामतपुर सतारपुर, थाना–फूलबेहड, जिला–खीरी के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–344** दण्ड प्रकिया संहिता की कार्यवाही संस्थित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्त हेमेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मनीश पुत्र श्रीकान्त, निवासी–मोहल्ला नरेन्द्र नगर बेली, पोस्ट टेलीहार, थाना–निघासन, जिला लखीमपुर खीरी को, बाबत मुकदमा अपराध संख्या–539/2018, थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत के मामले में, आरोपित आरोप, अंतर्गत धारा–328, 342, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता, से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है तथा वह न्यायालय के समक्ष

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त के मूल व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतियों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त के द्वारा अन्तर्गत **धारा–437–ए** दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो निर्णय के दिनांक से 06 माह तक अस्तित्व में रहेंगें।

इस मामले से सम्बन्धित वस्तु यदि कोई हो, वह इस मामले में अपील की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् अथवा उसके निस्तारण के बाद ही नियमानुसार निस्तारित हों।

पी0डब्लू0–1, वादिनी मुकदमा/पीड़िता पत्नी सूरज, पुत्री जयहिन्द सिंह, निवासी–मोहल्ला नरेन्द्र नगर बेली, पोस्ट टेलीहार निघासन, थाना–निघासन, जिला लखीमपुर खीरी, हाल निवासी ग्राम–नियामतपुर सतारपुर, थाना–फूलबेहड, जिला–खीरी के विरूद्ध अन्तर्गत अन्तर्गत **धारा–344** दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अविलम्ब संस्थित की जाये।

दिनांकः 20.07.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 20.07.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत